भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1352**
25.07.2022 को उत्तर के लिए

**क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण**

**1352. श्री धर्मेन्द्र कश्यप :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अब तक प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कोष के अपने हिस्से का उपयोग करते हुए किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अब तक उक्त निधि का उपयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य में कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>**उत्तर**</u>

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क): क्षतिपूरक वनीकरण कोष निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) निधियों का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण नियम, 2018 के प्रावधान के अनुसार विभिन्न वनीकरण गतिविधियों, वनाग्नि पर नियंत्रण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों और वन और वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वनभूमि के अपवर्तन के कारण वन और वृक्षों के आवरण, पारिस्थितिकी सेवाओं और जलीय प्रणालियों की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने में किया जा रहा है।

केंद्रीय सरकार अपने काम्पा निधि (राष्ट्रीय निधि) के हिस्से का उपयोग वन और वन्यजीव संबंधित शोध और अध्ययन, लुप्तप्राय प्रजाति की बहाली से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों और नगर वन योजना और विद्यालय नर्सरी योजना जैसी विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वयन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई गतिविधियों के आकलन संबंधी कार्यों, राष्ट्रीय काम्पा प्राधिकरण के कार्यालय व्यय आदि के लिए करती है। अब तक, कुल 23 योजनाएं/परियोजनाएं राष्ट्रीय निधि से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है इनमें से 5 परियोजनाएं वर्ष 2018 से पूर्व अनुमोदित थी। राष्ट्रीय निधि के तहत तैयार की गई परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न हैं।

(ख): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य काम्पा निधि से की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में क्षतिपूरक वनीकरण, कृत्रिम पुनर्जनन, सहयोगात्मक प्राकृतिक पुनरूत्पादन, वनों में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य, वनों का संरक्षण, वनाग्नि नियंत्रण और रोकथाम कार्य, वन्यजीव पर्यावासों में सुधार, जैव-विविधता संरक्षण, फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए आवास और कार्यालय भवन का निर्माण, शोध और विकास, वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए सूचना तकनीकी और संसूचना, प्रचार और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2018 से विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग की गई राज्य काम्पा निधि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

**अनुबंध-I**

**'क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| **क्र. सं.** | **योजनाओं का नाम** | **कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)** |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय वन आनुवंशिक संसाधन (एफजीआर): संरक्षण और विकास कार्यक्रम: 'वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण (सीओएफजीआर)' पर प्रायोगिक परियोजना - एफआरआई, देहरादून (2015-16) | 8.61 |
| 2 | एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी 2 सी) - डब्ल्यूआईआई (2014-15) | 18.66 |
| 3 | लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी) - डब्ल्यूआईआई देहरादून। (2015-16) | |
| (i) | भारत में डुगोंग और उनके पर्यावासों की बहाली | 23.58 |
| (ii) | गंगा नदी की डॉल्फिनों के लिए संरक्षण योजना का विकास | 23.00 |
| (iii) | ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावासों में सुधार और प्रजनन संरक्षण | 33.85 |
| (iv) | मणिपुर के ब्रोएंटलर्ड हिरण (संगई) का संरक्षण | 19.95 |
| 4 | "उत्तराखंड में वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केंद्र - एक प्रायोगिक अध्ययन" यूकोस्ट (2015-16) | 2.78 |
| 5 | परिवेश के वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और हैंडहॉल्डिंग सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव एनआईसीएसआई (2016-17) | 6.81 |
| 6 | पारिस्थितिकी संधारणीयता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना - आईसीएफआरई | 313.67 |
| 7 | क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन कोष से राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा किए गए वृक्षारोपण और संपत्ति के लिए निगरानी प्रोटोकॉल - एफएसआई | 13.14 |
| 8 | सुदृढ़ीकरण, निगरानी और वन संसाधन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई प्रकोष्ठ की स्थापना। | 4.33 |
| 9 | पवन ऊर्जा और प्रजाति कार्य योजनाओं की स्थापना के लिए स्थल-विशिष्ट गतिविधि योजना, क्षमता निर्माण, और पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना-बीएनएचएस | 3.75 |
| **क्र.सं.** | **योजनाओं का नाम** | **कुल परिव्यय (करोड़ रुपए में)** |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में वनाग्नि के कारण प्रति हेक्टेयर वास्तविक आर्थिक क्षति के आकलन के लिए प्रस्ताव - आईसीएफआरई | 3.79 |
| 11 | भारत में आरईडीडी+ के कार्यान्वयन के लिए तैयारी गतिविधियों का निष्पादन-आईसीएफआरई | 1.20 |
| 12 | वन परिदृश्य बहाली और बॉन चैलेंज पर रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकारों की वर्धित हुई क्षमता निर्माण - आईयूसीएन। | 5.90 |
| 13 | प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लीडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करना | 18.38 |
| 14 | नगर वन योजना | 895.00 |
| 15 | स्कूल नर्सरी योजना | 49.50 |
| 16 | एकीकृत वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए परिवेश 2.0 पोर्टल | 95.59 |
| 17 | रिट याचिका (सिविल) संख्या (ओं) 109/2008 वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम वन और पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण। | 48.00 |
| 18 | वन्यजीव रोग, निगरानी और रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय निर्देशपरक सेवा केंद्र की स्थापना | 3.00 |
| 19 | भारत में नदी डॉल्फ़िन आबादी की श्रेणी-व्यापी गणना | 10.15 |
| 20 | वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से दामोदर नदी के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का प्रस्ताव | 1.17 |
| 21 | प्रायोगिक परियोजना प्रोजेक्ट "सीड बॉल प्लांटेशन" | 9.04 |
| 22 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' (आईडीडब्ल्यूएच) योजना के तहत शामिल की गई लुप्तप्राय प्रजातियों का अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी | 19.05 |
| 23 | वन्यजीव रोग निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निर्देशपरक सेवा केंद्र की स्थापना | 3.00 |
| | **कुल रकम** | **1628.09** |

**<u>अनुबंध-II</u>**

**'क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| **राज्य काम्पा निधि का उपयोग** | | | | | **(करोड़ रुपये में)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 194.92 | 180.69 | 252.19 | 362.10 |

*****